भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1920

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

अनछुए पर्यटक विरासत स्थलों को चिन्हित करने की योजना

1920. श्री ज्ञानेश्वर पाटिलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाले अनछुए (कम प्रसिद्ध) पर्यटक विरासत स्थलों की पहचान करने के लिए देशव्यापी योजना तैयार की है;

(ख) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ-साथ विद्यमान स्मारकों और विरासत स्थलों का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पुनर्विकास करने के लिए सरकार की प्रस्तावित योजना क्या है, ताकि विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अवसर प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में अब तक कितना विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन विरासत स्थलों सहित पर्यटक स्थानों की पहचान और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक एवं विरासत स्थलों में सुविधाओं का प्रवाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त एक विरासत को अपनाएँ परियोजना के अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/न्यासों/गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों आदि के सहयोग से एक सुनियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से समग्र पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाकर पर्यटक स्थलों, विरासत स्थलों तथा स्मारकों को पर्यटक अनुकूल

बनाने के लिए वहाँ सुविधाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। पर्यटन मंत्रालय देश के विरासत स्थलों सहित विभिन्न पर्यटक गंतव्यों की यात्रा हेतु अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में अतुल्य भारत ब्रांडिंग के अन्तर्गत विरासत स्थलों सहित विभिन्न पर्यटक गंतव्यों तथा उत्पादों का संवर्धन भी कर रहा है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए आवश्यक गति प्रदान कर रहा है।

(ग) से (ड.): पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए लागू विनियमों और कानूनों के अध्यधीन भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वत:चालित रुट के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। होटलों, रिजॉर्ट तथा मनोरंजनात्मक सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वार 'होटल एवं पर्यटन' नामक क्षेत्र में दर्ज एफडीआई के सम्बन्ध में तैयार वित्तीय वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

अनछुए पर्यटक विरासत स्थलों को चिन्हित करने की योजना के सम्बन्ध में दिनांक 14.03.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 1920 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**।

अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2021 तक वित्तीय वर्ष-वार एफडीआई इक्विटी प्रवाह का विवरण

होटल एवं पर्यटन क्षेत्र

क्र.सं.	**वर्ष**	**एफडीआई मिलियन अमरीकी डॉलर में**
1	2000-01 अप्रैल-मार्च	13.20
2	2001-02	32.12
3	2002-03	33.75
4	2003-04	49.36
5	2004-05	37.01
6	2005-06	71.78
7	2006-07	195.66
8	2007-08	421.47
9	2008-09	463.92
10	2009-10	753.02
11	2010-11	308.05
12	2011-12	992.86
13	2012-13	3,259.05
14	2013-14	486.38
15	2014-15	777.01
16	2015-16	1,332.69
17	2016-17	916.13
18	2017-18	1,131.97
19	2018-19	1,075.75
20	2019-20	2,937.79
21	2020-21	368.96
22	2021-22 अप्रैल-दिसम्बर	642.58
	कुल योग	**16,300.50**

****